| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>राकेश बनाम राजपाल | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| 06/08/25 | बतुलाम फरीकैन उप०, प्रार्थी का प्रा.पत्र 07R11 व धारा 151 CPC स्वीकार किया जाकर मूल वाद को खारिज किया जाता है, विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>(पूर्ण प्रसाद मीना)<br>सहायक कलेक्टर<br>(फास्ट ट्रैक)<br>[illegible] राज० | |

राकेश बनाम राजपाल

# न्यायालय सहायक कलक्टर, नगर (डीग)

पीठासीन अधिकारी –दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

दावा स० 42/23 दायर दिनांक:14/07/2023

राकेश कुमार मीना उम्र 35 साल दत्तक पुत्र राजपाल, जाति मीना, निवासी ग्राम कैंचकी, तहसील नगर, जिला डीग -वादी

बनाम

1- राजपाल उम्र 72 साल पुत्र भौरया
2- रामकिशन उम्र 48 साल पुत्र तेजसिंह जातियान मीना, निवासी ग्राम कँचकी, तहसील नगर, जिला डीग, प्रांत राज०
3- तहसीलदार/ सबरजिस्ट्रार, नगर, तहसील नगर

----प्रतिवादीगण

निर्णय : दिनांक: 06-08-2025

**(प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी)**

उपस्थित:
(अधिवक्ता प्रार्थी :श्री गुलफान खान )
(अधिवक्ता अप्रार्थी : श्री श्यामबाबू सेठी)

प्रतिवादी सख्या 1 की ओर से प्रार्थना -पत्र आदेश 7 नियम 11 **सहपठित धारा** 151 सीपीसी कुछ इन तथ्यो के साथ पेश किया गया। प्रतिवादी का कथन है कि वादी द्वारा बाद पत्र असत्य मनगढ़ंत कथन दर्ज कर पेश किया है क्योंकि प्रतिवादी ने अपने जीवन काल में कोई सन्तान पुत्र-पुत्री के रूप मे दत्तक ग्रहण नहीं किया है ना ही कभी बादी को अपना दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया बल्कि वादी प्रतिवादी के भाई रतनलाल का पुत्र है इस नाते प्रतिवादी, वादी का ताऊ लगता है इसलिए वादी को प्रतिवादी की आराजी पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध कोई वाद-कारण उत्पन्न नहीं होता। प्रतिवादी संख्या एक अपनी आराजी का एक मात्र स्वामी एवं मालिक है और प्रतिवादी को अपनी आराजी के समस्त अधिकार हाँसिल है। जिसके आधार पर प्रतिवादी स १ ने अपने हिस्से की आराजी का दान-पत्र प्रतिवादी से २ रामकिशन पुत्र तेजसिंह के हक में सबरजिस्ट्रार जालूकी के यहाँ दिनांक 05/06/2023 को पंजीबद्ध करा दिया है अब विवादित आराज़ी पर समस्त अधिकार प्रतिवादी स 02 रामकिशन को प्राप्त हो चुके हैं जिसकी जानकारी वादी को भली-भाँति है। इसलिए भी वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध कोई बाद कारण उत्पन्न नहीं होता। दावा बादी काबिल खारिजी है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
नगर (डीग) राज०

विवादित आराजी प्रतिवादी की स्वअर्जित सम्पत्ति है समस्त अधिकार प्रार्थी प्रतिवादी स १ को हाँसिल होने से वादी को प्रार्थी, प्रतिवादी के विरुद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नही हो सकता।वादी ने अपने वाद पत्र में वाद कारण 05/07/2023 को उत्पन्न होना अंकित किया है जबकि वादी द्वारा इसी अनुतोष का एक वाद स· 55/23, राकेश कुमार बनाम राजपाल के नाम से सिविल न्यायालय में पेश किया है जिसके वाद कारण 09/06/23 को पैदा होना दर्ज किया जिससे स्पष्ट है कि वादी ने मनगढंत व असत्य कथन करवाद पेश किया है। वादी ने अपना वाद पत्र दत्तक पुत्र की हैसियत से पेश किया जबकि उसके समस्त रिकॉर्ड उसने असल पिता रतनलाल के नाम से है जिससे स्पष्ट है कि वादी ने असत्य व मिथ्या कथन कर न्यायालय को गुमराह करने के उद्देश्य से वाद पेश किया है जिसमें वादी को कोई हक़ व अधिकार नहीं होने से कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जावे तथा दावा वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाये । प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्नांकित नज़ीर पेश की गई।

जवाव प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा०दी० वादी द्वारा कुछ इस प्रकार पेश किया गया है। वादी का कथन है कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादी राजपाल की ओर से जानबूझकर असत्य तथ्य वर्णित करते हुए पेश किया है जो किसी भी स्थति में काबिले स्वीकार योग्य नहीं है और ख़ारिज किये जाने योग्य है | प्रतिवादी राजपाल का यह कहना कि प्रार्थी वादी को प्रतिवादी द्वारा मौखिक रूप से गोद नही लिया गया, और वादी को वाद कारण की उत्पति नही होती ये दोनो बिन्दु कानूनी रूप से बाद साक्ष्य तय किया ही संभव है, बिना साक्ष्य के इन बिंदुओ को तय किया जाना नामूमकिन है। साक्ष्य न्यायहित में आवश्यक है यदि बाद साक्ष्य न्यायालय किसी ऐसे विधिक बिंदु पर पहुॅचते है जिस बिंदु का निर्णय न्यायालय को ना कर सिविल न्यायालय को अधिकार हो उस स्थिति मे उस तनकी का निर्णय करने के लिये प्रकरण सक्षम न्यायालय के लिय भिजवाया जा सकता है, ना कि दावा खारिज किया जा सकता है। अत जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष के उपस्थित विद्वान अधिवक्तगण द्वारा अपने लिखित कथन को दौराने बहस दोहराया गया। हमने उभय पक्ष की बहस का मनन किया । सर्वप्रथम सीपीसी में वर्णीत आदेश 7 नियम 11 कुछ इस प्रकार से है।

**"अदालत एक वाद को खारिज कर देगीः**

- (ए) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है ;

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
नगर (डीग) राज०

- (बी) जहां दावा की गई राहत का कम मूल्यांकन किया गया है, और वादी, अदालत द्वारा निर्धारित समय के भीतर मूल्यांकन को सही करने के लिए अपेक्षित होने पर भी, ऐसा करने में विफल रहता है;
- (सी) जहां दावा की गई राहत का उचित मूल्यांकन किया गया है, लेकिन वाद अपर्याप्त स्टाम्प वाले कागज पर लिखी है, और वादी, अदालत द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक स्टाम्प पेपर की आपूर्ति करने के लिए अदालत द्वारा आवश्यक होने पर, ऐसा करने में विफल रहता है;
- (डी) जहां वाद वादपत्र में दिए गए बयान से किसी कानून द्वारा वर्जित प्रतीत होता है;
- (ई) जहां इसे दो प्रतियों में दर्ज नहीं किया गया है;
- (एफ) जहां वादी नियम 9 के प्रावधान का अनुपालन करने में विफल रहता है।
- बशर्ते अपेक्षित स्टांप पेपर के मूल्यांकन या आपूर्ति के सुधार के लिए अदालत द्वारा निर्धारित समय तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि अदालत, दर्ज किए जाने वाले कारणों से संतुष्ट न हो जाए कि वादी को असाधारण प्रकृति के किसी भी कारण से अदालत द्वारा निर्धारित समय के भीतर मूल्यांकन में सुधार के लिए या अपेक्षित स्टाम्प पेपर की आपूर्ति करने, जैसा भी मामला हो, से रोका गया हो सकता है और इस तरह के समय को बढ़ाने से इनकार करने से वादी के साथ गंभीर अन्याय होगा।"

इसके अवलोकन से स्पष्ट है कि सीपीसी में वर्णित आदेश 7 नियम 11 का कार्यक्षेत्र सीमित है।

वादी के वाद का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के गोद जाने की दिनांक का अंकन नहीं किया गया है। जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि वादी को प्रतिवादी संख्या 1 का वैध उत्तराधिकारी कब से माना जाना है।

वादी द्वारा अपने दावे के पैरे संख्या 5 में गोद लेने की रस्म पर मौखिक वसीयत प्रतिवादी स 1 द्वारा वादी के पक्ष में किए जाने का ज़िक्र किया गया है । यहाँ विधि के प्रावधान का ज़िक्र किया जाना आवश्यक है कि वसीयत वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात ही प्रभावी होती है। वर्तमान प्रकरण में वसीयतकर्ता अभी जीवित है ।अतः वसीयत के आधार पर वादी के कोई हक़ हकुक आदिनांक प्रदत्त नहीं हुए है तथा वसीयतकर्ता के जीवन काल में वसीयत परिवर्तनशील है।

वादी द्वारा पैरे संख्या 7 में कथन किया गया है की राजपाल काफ़ी उम्र दराज हो चुके है और सोचने समझने की शक्ति भी क्षीण हो चुकी है तथा काफ़ी लंबे समय से बीमार है । यहाँ भी

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
नगर (डीग) राज०

पुनः प्रतिवादी के बीमार होने के संबंध में किसी दिनांक अथवा अवधि का अंकन नहीं किया गया है। जिस से दावे के पठन से यह स्पष्ट हो सके कि वक्त अदायगी गोद रस्म भी प्रतिवादी स 1 स्वस्थचित थे अथवा नहीं। वाद के इन बिदुओ से स्पष्ट है कि यह वादी द्वारा चतुराई से वाद पत्र की रचना की गई है।

दावे के मद संख्या 9 में अंकित कथन के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराज़ी के बाबत एक दान पत्र प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी स 2 के पक्ष में तस्दीक़ कराया जा चुका है। जिसके बाबत वादी द्वारा एक दावा माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय में संस्थित कर दिया गया है। अतः सक्षम न्यायालय में विवादित दान पत्र की वैधता बाबत वाद विचाराधीन है।

वादी के दावे की मद संख्या 14(अ) के अनुसार वादी द्वारा वर्तमान इंद्रजात किस आधार पर कलमजन किया जाकर खातेदारी अधिकारो की घोषणा चाही गई है यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत प्रतिवादी द्वारा लगाए गए साक्ष्य इत्यादि प्रार्थना पत्र के निर्णय हेतु कोई महत्व नहीं रखते है, न ही यह निर्णय वादी द्वारा मांगी गई राहत की प्रकृति पर निर्भर करता है परंतु आदेश 7 के तहत दायर एक आवेदन से निबटाने के दौरान मूल प्रश्न का निर्णय लिया जाना आवश्यक है कि क्या वादपत्र में कार्रवाई का वास्तविक कारण निर्धारित किया गया है या संहिता के आदेश 7 नियम 11से बाहर निकलने की दृष्टि से कुछ पूरी तरह से भ्रामक बताया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायलय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत ABC Laminart (P) Etd. v. A.P. Agencies [(1989) 2 SCC 163], में "cause of action" को कुछ इस प्रकारपरिभाषित किया गया है: (SCC p. 170, para 12)

"12. A cause of action means every fact, which if traversed, it would be necessary for the plaintiff to prove in order to support his right to a judgment of the court. In other words, it is a bundle of facts which taken with the law applicable to them gives the plaintiff a right to relief against the defendant. It must include some act done by the defendant since in the absence of such an act no cause of action can possibly accrue. It is not limited to the actual infringement of the right sued on but includes all the material facts on which it is founded. It does not comprise evidence necessary to prove such facts, but every fact necessary for the plaintiff to prove to enable him to obtain a decree. Everything which if not proved would give the defendant a right to immediate judgment

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
नगर (डीग) राज०

must be part of the cause of action. But it has no relation whatever to the defence which may be set up by the defendant nor does it depend upon the character of the relief prayed for by the plaintiff"

माननीय उच्चतम न्यायलय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत Sopan Sable v. Charity Commr., (2004) 3 SCC 137] के para 11 व 12, में कुछ इस प्रकार से अपने विचार रखे है। (SCC p. 146)

"11. In ITC Ltd. v. Debts Recovery Appellate Tribunal [ITC Ltd. v. Debts Recovery Appellate Tribunal, (1998) 2 SCC 70] it was held that the basic question to be decided while dealing with an application filed under Order 7 Rule 11 of the Code is whether a real cause of action has been set out in the plaint or something purely illusory has been stated with a view to get out of Order 7 Rule 11 of the Code.

12. The trial court must remember that if on a meaningful and not formal reading of the plaint it is manifestly vexatious and meritless in the sense of not disclosing a clear right to sue, it should exercise the power under Order 7 Rule 11 of the Code taking care to see that the ground mentioned therein is fulfilled. If clever drafting has created the illusion of a cause of action, it has to be nipped in the bud at the first hearing by examining the party searchingly under Order 10 of the Code. (See T. Arivandandam v. T.V. Satyapal ((1977) 4 SCC 467))"

उक्त दृष्टांत के तथ्य प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है।

यहां यह भी उल्लेखनिय है कि उक्त समान उभयपक्षकारान का उक्त समान प्रकृति को लेकर उद्घोषणा का दावा न्यायलय उपखण्ड अधिकारी नगर में दावा संख्या 39/23 पेश किया था जिसमें भी प्रतिवादी नम्बर 2 द्वारा न्यायलय में आदेश 7 नियम 11 एवं 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जो न्यायलय उपखण्ड अधिकारी नगर द्वारा स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया गया है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के आलोक में प्रतिवादी (प्रार्थी) रामकिशन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
नगर (डीग) राज0

राकेश बनाम राजपाल

## आदेश

अतः प्रार्थना पत्र के तथ्यों व बहस का सीपीसी व माननीय उच्चतम न्यायलय के न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में वादी के वाद का अवलोकन करने से स्पष्ट है वादी का वाद पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादी ख़ारिज किया जाता है। फ़ैसला सुनाया जाकर आज दिनांक 06-08-2025 को टंकित कराया गया। फ़ैसला सरे इजलास सुनाया गया।

06/8/25

(दुर्गा प्रसाद मीना)RAS
सहायक कलक्टर
नगर (डीग)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
नगर (डीग) राज०

राकेश बनाम राजपाल

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तनाई
(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

# न्यायालय सहायक कलक्टर, नगर (डीग)

पीठासीन अधिकारी –दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

दावा स० 42/23 दायर दिनांक:14/07/2023

राकेश कुमार मीना उम्र 35 साल दत्तक पुत्र राजपाल, जाति मीना, निवासी ग्राम कैंचकी, तहसील नगर, जिला डीग -वादी

**बनाम**

1- राजपाल उम्र 72 साल पुत्र भौरया
2- रामकिशन उम्र 48 साल पुत्र तेजसिंह जातियान मीना, निवासी ग्राम कँचकी, तहसील नगर, जिला डीग, प्रांत राज०
3- तहसीलदार/ सबरजिस्ट्रार, नगर, तहसील नगर

––––प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89,188 आर.टी.एक्ट.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू हमारे बहाजरी वादी श्री गुलफान खान अभिभाषक मिनजानिब मुद्दई श्री श्याम बाबू सेठी मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अंर्तगत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादी ख़ारिज किया जाता है।

डिक्री बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06.08.2025 को जारी की गयी।

06/8/25

(दुर्गा प्रसाद मीना)RAS
सहायक कलक्टर
नगर (डीग)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
नगर (डीग) राज०